न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 07/19

1. सुन्दरलाल 2. चन्दूराम 3. छोटूराम पिसरान जड़ाव देवी पुत्री अकूड़ाराम जाति सांसी साकिन चौखुंटी सांसीयान बीकानेर हाल चक 10 बी.डी.सी. तहसील खाजूवाला। .....अपीलांट

बनाम

1. शारदा देवी पत्नि भंवरलाल जाति सांसी साकिन दाउदसर वाया जामसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2. सोमादेवी पत्नि जगदीश जाति सांसी साकिन चौखुंटी फाटक, सांसी मौहल्ला बीकानेर।
3. चन्दा देवी पत्नि मदनलाल जाति सांसी साकिन श्रीरामसर, तह. बीकानेर।
4. पुजा पुत्री स्व. मैना जाति सांसी नातिन जड़ाव पिता भंवरलाल साकिन कोलायत जिला बीकानेर।
5. मंजू देवी पत्नि रामूराम जाति सांसी साकिन श्री कोलायत जिला बीकानेर।
6. ग्रांम पंचायत 14 बीडी जरिये सरपंच तहसील खाजूवाला बीकानेर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला। ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.08.2021

अपील का ब्यौरा इस प्रकार से है कि विवादित आराजी चक 12 बीडी हाल चक 10 बीडी–सी के मुरब्बा नंबर 133/45 की 25 बीघा भूमि का 1/2 हिस्सा अपीलांट के नाना अकूड़ाराम के नाम दर्ज था। नाना की मृत्यु 2010 में हुई थी। इसके बाद इंतकाल संख्या 69 और 80 के जरिए उक्त भूमि का इंतकाल नाना के वारिसान जड़ाव और शारदा देवी के नाम दर्ज हो गया। अपीलांट का कहना है कि नाना ने उक्त जमीन की वसीयत 1995 में अपीलांट की माता जड़ाव के पक्ष में लिख दी थी। इसलिए इंतकाल संख्या 69 और 80 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर उक्त जमीन जड़ाव के वारिसान के नाम दर्ज की जाए, क्योंकि जुड़ाव की मृत्यु 2014 में हो चुकी है।

अदालत द्वारा अपीलांट द्वारा पेश की गई दलीलों और साक्ष्यों पर गौर किया गया। सबूतों के मुताबिक विवादित जमीन अकूड़ाराम के पिता को आवंटित हुई थी। उक्त जमीन पिता की मृत्यु के बाद विरासतन इंतकाल के जरिए अकूड़ाराम के नाम दर्ज हुई। अदालत का मानना है अकूड़ाराम को उक्त जमीन की वसीयत करवाने का इख्तियार नहीं था क्योंकि उक्त जमीन अकूड़ाराम की स्वअर्जित संपत्ति नहीं है। इसलिए अदालत का मानना है कि उक्त वसीयत के आधार पर विवादित जमीन में अपीलांट के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं होता है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह अपील खारिज की जाती है। इसी के साथ विवादित जमीन के संबंध में दिनांक 04.06.19 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 14:55:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)